अनुसूची-१४ –फारम सं० ४६

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 52/2013

कैलाश राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
10.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा के आदेश ज्ञापांक 3676, दिनांक 03.10.2013 के विरूद्व दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 11.07.2013 को कैलास राम, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–180/2007, पंचायत–अगहरा ,प्रखंड–मढौरा की दूकान की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा की गई। जांच के कम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) आपके दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया कि अन्त्योदय योजना में 35 किलो ग्राम के बदले 30 किलो दिया जाता है। (2) किरासन तेल वितरण के निर्धारित मात्रा 2.75 लीटर के स्थान 2.50 लीटर दिया जाता है, तथा 20 रू0 प्रति लिटर की दर से राशि लिया जाता है। (3) बी0पी0एल0 योजना का खाद्यान्न 25 किलो ग्राम के बदले 20 किलो दिया जाता है। (4) आपके दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गई है कि जून 2013 के किरासन तेल लेने के क्रम में ही माह जून एवं जुलाई 2013 का किरासन तेल एवं खाद्यान्न का कूपन फाड़ लिया गया है। (5) आपके दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा यह भी शिकायत किया गया है कि पूरे साल का खाद्यान्न एवं किरासन तेल का कूपन विक्रेता द्वारा अपने पास ही रख लिया गया है। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी,	

मढौरा के ज्ञापांक 2404, दिनांक 12.07.2013 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया। निर्धारित समय सीमा के अंदर जवाब अप्राप्त रहने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3604, दिनांक 31.07.2013 के द्वारा स्मार निर्गत किया गया। अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3047, दिनांक 21.08.2013 के द्वारा पूनः कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा 13.08.2013, 31.08.2013 एवं 03.09.2013 को अपना जवाब समर्पित किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाबों को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्व यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा प्रत्येक माह अपना कूपन समय से जमा कराया जाता है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से नेपट नही लगाया गया था। मई का खाद्यान्न विक्रेता के द्वारा बॉट दिया गया था एवं उसका कूपन ससमय जमा कर दिया गया। तबीयत खराब होने की वजह से कैशमैमो खो गया। विक्रेता के द्वारा समय से अपनी दूकान खोला जाता है एवं बंद किया जाता है। गॉव के विरोधियों के द्वारा दुश्मनी की वजह से उनके विरूद्व शिकायत की गई है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का ससमय उठाव एवं वितरण किया जाता है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 3676 दिनांक 03.10.2013) में अंकित किया गया है कि विक्रेता से प्राप्त कागजातों की विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के कम में विक्रेता के विरूद्व कई गंभीर अनियमतताए पाई गई, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमतताओं के संबंध में विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set

aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 293 /न्यायालय, दिनांक 02/05/2015

प्रतिलिपि – SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर डालने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

2/5/15